

फर्द अहकाम

यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (प्रपुत्र)

गीतादेवी बनाम छारी देवी

कदमा संख्या/वर्ष : 141/2018

क्र.सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	21/11/18	<p>मूलवाद सं० 141/2018 में प्रथोपार्थक्य का प्रमाण पर पेश होने पर पत्रपुली को पेश हुई प्रथोपार्थक्य रूप में प्रतीति पहचान इसके अधिवक्ता श्री रामचंद्र शर्मा के पेश की मूलवाद को प्रिद्धा कर प्रारिद्ध किया है कि इस प्रमाण पर कोई अतिवृत्ति नहीं है इसीलिए प्रमाण धारा 212 R.T.M.A को प्रारिद्ध किया जाता है पत्रपुली फेराल मुगल को कर गहर से कर हो वाड इति दारिद्र्य इष्ट हो/ए</p>	<p>नि गीतादेवी Identified by [Signature]</p>

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

